

6993  
1316101

R.S.

संस्कृतीय सरकार

१३ JUN 2001 मिति दिनांक

फोन: प- २११५७ फा०८५५५५०३९७/१००० बप्पुर, दिल्ली ३०, २००१।

समाज प्रश्न शासन संघ/  
भीता संघ/प्रियगांधीय शासन संघ,  
लमरा संघागीय आयुका,  
समस्त विभागाध्यक्ष जिला कलक्टरों द्वारा।

### परिचय

भृष्टाचार निरोधक छूरो/सुमित्रा विभाग द्वारा राज्य  
तेषकों के खिलौने अभियोजन रखीकृति एवं विभागीय कार्यालयी हेतु प्रकरण  
राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों लो ऐसे जारी हैं जिन पर प्रामिलाएँ  
के आधार पर विचार किया जाता है।

राज्य सरकार के उपर्युक्त भिट्ठी है कि जब कभी भिट्ठी राज्यतीयका  
के खिलौने विभागाध्यक्षों द्वारा अभियोजन रखीकृति जारी नहीं किये जाने  
का निर्णय लिया जाना छो तो ऐसा निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रशारनिक  
विभाग के भीता संघिय को प्रसारण प्रत्युत्त पर उनका अनुमोदन प्राप्त कर  
लिया जाये।

भृष्टाचार निरोधक छूरो द्वारा राज्य सरकार की अधिकार  
करवाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा कही हुई विभिन्न प्रकरणों में गमियोजन  
रखीकृति जारी करने एवं विभागीय कार्यालयी प्रारम्भ करने से इनकार  
कर दिया जाता है, जिसके कारण भृष्टाचार के निरन्तर जैसे एक नीति  
सम्बन्धना प्रथम होती है एवं सरकार की राज्याधारियाँ एवं द्वितीयदार  
प्रशारन भी उचित विभागीय हैं। अतः राज्य शिक्षकों के ऐसे प्रकरणों लो  
भृष्टाचार निरोधक छूरो/सुमित्रा विभाग द्वारा अभियोजन रखीकृति जारी  
करने पर विभागीय कार्यालयी प्रारम्भ करने हेतु ऐसे जारी हैं के राज्यतीय  
में विभिन्न विभिन्न प्रशिक्षा विविचन की जाती है :-

- 1 - जो भी कोई प्रारम्भ भृष्टाचार निरोधक छूरो/सुमित्रा  
विभाग द्वारा अभियोजन रखीकृति हेतु विभागाध्यक्षों को ऐसे  
जाने, तो शंखिया विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं जाता।

प्राथमिकता के जापार पर विचार किया जाकर स्वीकृति  
एक महिने के अन्दर-अन्दर प्रदान कर दी जाए। किसी-  
भी परिस्थिति में अभियोजन स्वीकृति के प्रत्यावर्त ३ महिने  
से अधिक विचारार्थीन नहीं रखे जाने चाहिए। इसी प्रकार  
विभागीय कार्यवाही का प्रत्यावर्त प्राप्त होने ही उस राज्य  
सेवक के विश्व विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही  
शी प्रारम्भ की जाए।

2- जब कभी किसी राजसेवक के विश्व किसी विभागाध्यक्ष  
द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने या विभागीय  
कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने का निर्णय लेने के पश्च में पटि-  
विभागाध्यक्ष हो तो ऐसा निर्णय लिये जाने के पूर्व उस प्रवारण को  
प्रश्नात्मक विभाग के भीतर सांचेको प्रत्यक्ष किया जाए।  
मामले पर विचार कर या तो वह निर्देश देंगे कि प्रकरण में  
अभियोजन स्वीकृति/विभागीय कार्यवाही सधम ग्राफिकारी पा तो  
उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी कर दी जाए/प्रारम्भ कर दी जाए  
या विभागाध्यक्ष के मत का समझौते करते हुए प्रकरण मुख्य सतर्कता  
आयुक्त को विचार हेतु डेंगे। मुख्य सतर्कता आयुक्त उस  
प्रश्नांकी समूर्ण स्थिति पर विचार कर निर्णय लेंगे एवं विभागाध्य-  
क्षों जवाब कराएंगे। ऐसे प्रकरणों में मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा  
लिए गये निर्णय जनित्राम होंगे एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उत्ती-  
पानना की जायेगी।

3- विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में मुख्य सतर्कता आयुक्त  
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भी सलाह प्रदान करेंगे कि  
विभागीय कार्यवाही का लाभ जीप्रियोपण हेतु जारी ही जाए  
या दीर्घ शासी हेतु।

4- जहाँ विभागीय कार्यवाही मुख्य सतर्कता आयुक्त की  
सलाह से प्रारम्भ की गई हो, उन प्रकरणों में व्यावर्षक के आभ्यं  
प्राप्त होने के पश्चात् यदि उभी आरोप पा उनमें से कुछ जारीपी

को समाप्त करने की स्थिति हो तो मुख्य सत्रिका  
आयुक्त का भी परामर्श लिया जाना चाहिए।

यह परिपत्र अधिकारीय सेवाओं सर्व राज्य सेवाओं के  
उपरिकारियों के प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

महानिरीक्षक  
शोरन उप सचिव

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ सर्व आधिकारिक कार्यवाही हेतु प्रेसिडेंस है:-

- 111.- मुख्य राजिल, राजस्थान, जयपुर।
- 121.- स. सिंह, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 131.- महानिरेक्षक, भूटायार निरोक्ष छारो, राजस्थान, जयपुर।
- 141.- निजी सचिव, कार्मिक-भूमिका, राजस्थान, जयपुर।
- 151.- निरेक्षक, सूचना सर्व जन सम्बन्धी फ़िल्मांग, राजस्थान, जयपुर।
- 161.- रक्षित पत्राखती।

शोरन उप सचिव

11 कार्यालय निरीक्षकाक, पुलिस, राजस्थान जयपुर 11

फ़ाइल: R-48 4 ४५०५८/प्रभारान्व/2001/5 434-5584 प्रिंज- ११/६/२०२१

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व ग्राम्यक कार्यवाही हेतु प्रेसिडेंस है:-

- 1- रामस्त गतिरिपत महानिरेक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
- 2- महानिरीक्षक पुलिस, धूर संघार, राजस्थान जयपुर।
- 3- रामस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
- 4- निरेक्षक, एस. एस. गार. बी. /गार. पी. स. जयपुर।
- 5- रामस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 6- निरेक्षक सोनारकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
- 7- निरेक्षक, पुलिस विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
- 8- रामस्त राहायक महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 9- रामस्त पुलिस गणीक्षक, राजस्थान ग्रा. ए. गार. पी. उमोर/जोधपुर/केराणीय झाण्डार, जयपुर।
- 10-प्रधानाधार्य आर. पी. टी. री. जोधपुर।
- 11-रामस्त कमाण्डेन्ट गार. स. री. बटा-लियन मग गार्ड. आर. /सम. थो. ए. छोरवाडा।
- 12-कमाण्डेन्ट, पी. टी. एस. किंगनगद/जोधपुर/छोरवाडा/साटीसरा जयपुर/रामडीएस. बीकानेर।
- 13-रामस्त जोन गारिशर्करा री.गार्डी/सराधी/रामस्त रेज रील री.गार्डी/री.वी. औराज।
- 14-लेहाकार, गांगतान शांचारा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
- 15-रामस्त शांचारी प्रशारी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

कृपया इस परिपत्र सम्बन्धी अधिक प्रथम हाथ पर पुलिस महानिरेक्षक  
मुख्यालय, राजस्थान जयपुर किंवा ग्राम्य कार्यालयों द्वारा जारी किये जाने की  
रक्षायाचा करें।

उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय  
५६ राजस्थान जयपुर।